न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 216/2022

उनवान :

सन्दीपकुमार पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवारी कणाऊ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवारी कणाऊ तहसील भादरा।
2. पूजा पुत्री प्रभुराम जाति जाट निवारी कणाऊ तहसील भादरा।
3. प्रियंका पुत्री प्रभुराम जाति जाट निवारी कणाऊ तहसील भादरा।
4. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संजय कुमार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 20/322 के खसरा सं0 142 की 11.812है0, ख0सं0 378 की 7.576 है0, खसरा सं0 581 की 9.029है0, खसरा सं0 633/581 की 0.759है0, खसरा सं0 704/382 की 4.195है0 कुल खसरा 5 की 33.371है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम के नाम दर्ज 6753/33371 हिस्सा वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम अकेले की बजाय वादी सन्दीपकुमार, प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम, प्रतिवादी सं0 2 पूजा व प्रतिवादी सं0 3 प्रियंका को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.07.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner